

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 55 / 2024 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी – एस आर जी
हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड,
कार्यालय 321, एस एम लोढ़ा
कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।

उनवान
बनाम

1. श्री छोटू लाल शर्मा पुत्र शंकर
लाल शर्मा उर्फ हरिशंकर शर्मा
निवासी भीलड़ी, तहसील
जहाजपुर जिला शाहपुरा।
2. श्रीमती संतोष देवी/छोटू लाल शर्मा
निवासी भीलड़ी, तहसील
जहाजपुर जिला शाहपुरा।
3. श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र शंकर
लाल शर्मा निवासी भीलड़ी,
तहसील जहाजपुर जिला
शाहपुरा।
4. श्री महावीर जाट पुत्र रामलाल
जाट निवासी भीलड़ी, तहसील
जहाजपुर जिला शाहपुरा।
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र गजराज सिंह
निवासी भीलड़ी, तहसील
जहाजपुर जिला शाहपुरा।

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

प्राधिकृत अधिकारी – श्री लक्ष्मण सिंह जरिये अधिवक्ता श्रीमती ममता गायरी एवं
श्री बादल नायक।



निर्णय

दिनांक : 10/12/2024

प्राधिकृत अधिकारी – एस आर जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, कार्यालय 321,
एस एम लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन
अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी
के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 4,00,000/-
रुपये का ऋण दिनांक 27.03.2021 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में
प्रतिभूति के बतौर जो भूमि व भवन अचल सम्पत्ति – श्री छोटू लाल शर्मा पुत्र हरिशंकर
शर्मा की आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या-48 दिनांक 01.06.2017, ग्राम भीलड़ी ग्राम
पंचायत टीठोडी तहसील जहाजपुर तत्कालीन जिला भीलवाड़ा वर्तमान जिला शाहपुरा
पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है
जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1175 वर्ग फीट है जिसकी सीमाएं उत्तर-लाली शर्मा,
दक्षिण- भूरा तेली, पूर्व- रास्ता पश्चिम- स्वयं का बाड़ा है (वैंक में उपलब्ध रिकार्ड

